भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./उ.रा.नि./द्वि/2017 दिनांक: 25 जुलाई, 2017

सेवा में,

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं
महासचिव, राज्यसभा,
संसद भवन नई दिल्ली।

विषय:- उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017- मत गणना के दौरान मीडिया कवरेज-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 05 अगस्त 2017 को मीडिया कर्मियों द्वारा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन-2017 के मतों की गणना की प्रक्रिया की मीडिया कवरेज को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाएं:-

1. गणना हाल और इसके निकटस्थ एक सुरक्षित क्षेत्र होगा जहां केवल आयोग द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के धारकों को ही नियंत्रित और निर्देशित रूप में अनुमति होगी। पास के कक्ष/स्थान में मीडिया कर्मियों के ठहरने को आरामदायक बनाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी उचित और पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। इस मीडिया कक्ष में पर्याप्त संचार सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. मीडिया कर्मी, **जो आयोग के वैध प्राधिकार पत्र धारक हैं,** मतपत्रों की गणना और गणना प्रक्रिया के लिए की गई व्यवस्थाओं का कवरेज कर सकते हैं और उन्हें कवरेज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। गणना हॉल के भीतर चल रही गणना के कवरेज हेतु अल्पावधि के लिए छोटे और नियंत्रणीय श्रव्य-दृश्य समूहों में नियंत्रित और निर्देशित प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।
3. मीडिया कर्मियों और समूहों के ऐसे निर्देशन और नियंत्रण के लिए रिटर्निंग अधिकारी को एक या दो वरिष्ठ अधिकारियों, जो मीडिया व्यक्तियों के साथ प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकें, की पहचान और तैनाती करना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित अधिकारियों को

गणना हाल के भीतर चल रही गणना प्रक्रिया के संचालित दौरे के दौरान मीडिया समूहों का संचालन और मार्ग रक्षण करना चाहिए।

4. गणना हाल पूर्ण रूप से एक शान्त क्षेत्र होगा। गणना हाल के भीतर किसी भी प्रकार के अनियन्त्रित व्यवहार की अनुमति नहीं दी जाएगी। गणना हाल के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. गणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए आयोग के प्राधिकार पत्र धारण करने वाले मीडिया कर्मियों को उन्हीं प्राधिकार पत्रों के आधार पर ही फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। **यद्‌यपि हर समय सभी प्रवेश अनुशासन पालन, उचित शिष्टाचार और शांतिपूर्ण ढंग से गणना के संचालन के अध्यधीन होंगे।**

6. यह ध्यान में रखा जाए कि गणना हाल के भीतर **किसी स्थैतिक(नियत) कैमरा-स्टिल या मीडिया के वीडियो की अनुमति नहीं दी जाएगी।** इसलिए गणना हाल के भीतर **किसी कैमरा स्टैन्ड** को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त हाथ या कंधों पर लिए गए कैमरे के साथ गणना प्रक्रिया की श्रव्य दृश्य कवरेज करते समय, किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के मत पत्र में रिकार्ड किए गए वास्तविक मतों की श्रव्य दृश्य कवरेज द्‌वारा फोटोग्राफी या कवरेज नहीं की जानी चाहिए। **वह सुनिश्चित स्थान जहां तक मीडिया के व्यक्ति स्टिल और वीडियो कैमरा के साथ जा सकते हैं, रिटर्निंग अधिकारी द्‌वारा सभी संबंधितों के मार्गदर्शन हेतु रस्सी से चिहि्नत की गयी एक रेखा द्‌वारा पहले से इंगित किया जाना चाहिए।**

मतों की गणना की प्रक्रिया पूरी हो जाने और परिणाम संकलित हो जाने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि के समक्ष तथा गणना हाल के बाहर नियत किए गए साउंड बाक्सों वाली सार्वजनिक उद्‌घोषणा प्रणाली के माध्यम से भी मतों की गणना का परिणाम घोषित करेंगे।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव